

हरिगुणि न्यूज ►► रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग में वर्षों से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को लेकर कड़ा रुख अपनाने हुए आगामी तीन माह के भीतर सभी पुराने मामले का अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा, निर्धारित अवधि के बाद यदि पुराने प्रकरण असामान्य रूप से अथवा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संबंधित जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता

उन्होंने कहा, लंबे समय तक प्रदर्शन लाँचित रहने से अगिलेखों का आसपास के परिष्करण में कठिनाई आती है तथा विमानीय कार्यवाही की गंभीरता और प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है। कई कर्मचारी वषों तक बिना किसी नियंत्रण के अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करने को विवश रहते हैं, जिसे उसने स्पष्ट साक्ष्य हित, प्रसन्नता, धैर्य और व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, यदि कोई कर्मचारी दोषी है तो उसके विरुद्ध सच पर कार्यवाही होनी चाहिए और यदि वह निदोष है तो उसे अनावश्यक उपरीक्षण एवं अनिश्चितता से शीघ्र राहत मिलनी चाहिए। न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है।



अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री ने कहा, विभागीय जमानों में अनावश्यक तरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कमजोर करती है। कई कार्रवायों को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक तथा सेवा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन व्यवस्था में निर्णयहीनता और अनावश्यक विलंब के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अनेक मामलों में विभागीय जॉच प्रस्ताव 4 से 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि कुछ प्रकरण संतुलित अधिकारी अथवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद भेजे जाते हैं। यह स्थिति सुशासन, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की भावना के विपरीत है।

उन्होंने निदेश दिए हैं कि एक माह के भीतर विभाग में पूर्व से लॉबिंग सेमि विभागीय जांच प्रकरणों को जानकारी संकलित की जाए तथा समीक्षा समालोचका प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई बुनियादी की जाए। उन्होंने कहा, जवाबदेही तथा किप बिना प्रशासनिक सुधार संभव नहीं है। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सुशासन की मूल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, शासन का उद्देश्य केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें कर्मचारियों को समय पर व्याय मिले, निर्णय प्रक्रिया कार्यशील हो और जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो।

पुलिस कमिशनर ने स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण

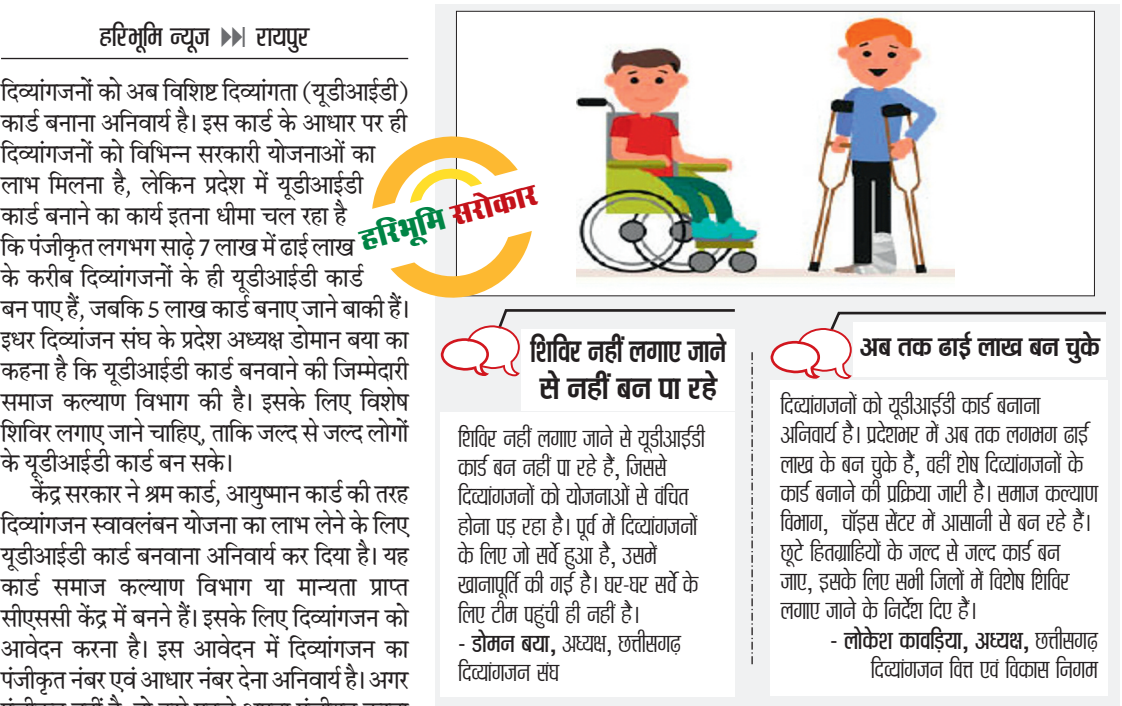


मंदिर हसौद में लगे
शिविर में 78 आवेदनों
का मौके पर निराकरण



रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आरंग विकासखण्ड के नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद में सोमवार को जनसमस्या निवारण शिबिर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आवदन लेकर पहुंचे थे। इस दौरान 78 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। इनमें मुख्य रूप से राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न दस्तावेजों से जुड़े प्रकरण शामिल रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हस्तप्रतिनिधियों को लाभान्वित किया। इस दौरान मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड एवं उनके नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 हस्तग्राही, कृषि विभाग ने 3 किसानों को खाद बीज वितरण किया।

प्रदेश में पंजीकृत 7.50 लाख दिव्यांग, इनमें अब तक 2.50 लाख के ही बन पाए हैं यूडीआईडी कार्ड



प्रदेश में पंजीकृत दिव्यांगजनों की सर्वे के बाद जो सूची तैयार की गई थी। इसमें कई नाम ऐसे भी सामने आ सकते हैं, जिनकी मृत्यु चुकी है, या फिर वे दूसरे जिले के निवासी हैं। सूचों के अनुसार जिन दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं, उनमें ऐसे दिव्यांगजनों के नाम भी शामिल होने की संभावना है।

■ खाद्य मंत्री
दयालदास
की अध्यक्षता
में मंत्रिमंडलीय
उप समिति
बैठक भी हुई



श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा वीरेंद्रा कोर्नरेस के माध्यम से शामिल हो चुके हैं। उप मंत्रिमण्डलीय मंत्रि समिति के बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सफलतापूर्वक मूल्य पर खरीदे गए धान के निष्पादन आग कास्टमर मिमिलिंग तथा एग्रीकल्चर खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले, वित्त विभाग की सचिव रोहित यादव, सहकारिता विभाग की सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, मार्केट डे एमडी जितेन्द्र शुक्ला, मंडी बोर्ड के एमडी महेन्द्र सिंह सक्नी सहित अन्य संबिधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंबिक

फीसदी पंज

रायपुर

के बकाया बिल का निराकरण करने ल बकाया भुगतान समाधान योजना सात लाख उपभोक्ताओं के बकाया सके लिए पहले दस फीसदी पंजीयन लेकिन अब इसको कम करके पांच के पीछे का कारण यह है कि सभी का समाधान हो सके।

ज्य पॉवर कंपनी को 60 करोड़ मिल गेगी। प्रदेश में बिजली के आम डू से ज्यादा का बकाया है। इसमें से गाओं पर डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा लिए ही प्रदेश सरकार ने समाधान पूरा सरचार्ज माफ किया गया है। समें से अब तक छह सौ करोड़ का

खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए



बंगोली सरकारी समिति में भंडारण 129.700 टन एवं वितरण 22.00 टन, पचरी सरकारी समितियों में भंडारण 215.735 टन वितरण 43.00 टन , सहकारी समिति छड़िया में भंडारण 239.650 टन वितरण 46.00 टन, सहकारी समिति बूढ़ेनी वितरण 288.335 टन जिसमें वितरण 155.00 टन, सहकारी समिति फरहदा में भंडारण 319.570 टन वितरण 151.00 टन, खरोरा सहकारी समिति में भंडारण 212.685 टन वितरण 53.000, सरकारी समिति माठ में भंडारण 167.700 टन वितरण 35 टन, गनियार सहकारी समिति में भंडारण 129.700 टन वितरण 54.715 टन, सहकारी समिति असोदा में भंडारण 135.165 वितरण 41.00 तथा इसी प्रकार सहकारी समिति अडसेना में भंडारण 246.100 टन एवं वितरण 86.00 टन खाद वितरण किया गया। इसका है। उक्त जानकारी जिला सरकारी समिति केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरोरा के शाखा प्रबंधक भरत साहू ने देते हुए कहा कि किसानों के लिए खाद एवं बीज की मांग समय पर किया गया है जा रहा है एवं शासन के आदेशानुसार किसानों को सभी शाखा समितियों में खाद एवं बीज का वितरण नियमानुसार किया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार खरीफा 2025 में किसानों को जितना यूरिया मिला था, इस वर्ष उसकी 80% प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष आवश्यकता को उपलब्धता के अनुसार या नैनो यूरिया के माध्यम से पूरी की जाएगी।

प्रकार सहकारी समिति अडसेना में २०१७
भंडारण 246,100 टन एवं वितरण 88,600 टन खाद वितरण किया गया।
है। उक्त जानकारी जिला सरकारी कार्यालय
केंद्रीय बैंक मर्यादित खरोरा शाखा प्रबंधक भरत साहू ने देते हुए
कहा कि किसानों के लिए खाद एवं बीज का
बीज की मांग समय पर किया जा रहा है।
जा रहा है एवं शासन के आदेशानुसार
किसानों को सभी समिति सदस्यों में खाद एवं बीज का
वितरण नियमानुसार किया जाएगा।
सरकार के निर्देशानुसार खरीफ 2025 में किसानों को जितना यूरिया
मिला था, इस वर्ष उसकी प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया
रूप में दी जाएगी। शेष आवश्यकता को उपलब्धता के अनुसार या नैनो यूरिया
यूरिया के माध्यम से पूरी की जाएगी।

बैलदाबाजार। पारंपरिक खेती को छोड़कर जब कोई किसान आधुनिकता को छिड़ सकता है, तो वह न सिर्फ अपनी तकदीर बदलता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। गांधी लट्ठवा की प्रगतिशील किसान शैलेंद्र कुमार कन्नोजी आज एक ऐसी ही मिसाल बनकर उभरे हैं। पिछले दो वर्षों से वेनो उर्वरक का लगातार उपयोग करते वे उन्नत और स्मार्ट खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्नत कुत्तू अनाजकार शैलेन्द्र को रासायनिक खादों के भारी-भरकम बोझ से मुक्ति मिली और कम लागत में अधिक मुनाफे की एक शानदार मिसाल पेश किया है। किसान शैलेन्द्र कुमार बताते हैं कि, खेती में लगातार बढ़ती लागत और पारंपरिक बोरी वाले खादों के परिवहन व छिड़काव में आने वाले विकतों ने उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया था। जब उन्होंने वेनो तकनीकों को अपनाया, तो इसके परिणाम बेहद चौकाने वाले और संतोषजनक रहे। यही वजह है कि अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इस वर्ष भी अपनी फसलों में पूरी तरह से वेनो ड्रिपरी और फेनो डीपफी की प्रयोग करने का मन बनाया है। उनके अनुसार, नैनो उर्वरक बाजार में बहुत ही कम लागत में और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे खेती के कुत्तूआती खर्च में बड़ी बचत होती है। इस आधुनिक तकनीक को मिलते बड़ा व्यावहारिक फायदा इसके रखरखाव और उपयोग में देखने को मिलता है। जहां पहले भारी-भरकम बोरियों को ढुकाकर से उतार तक लाया और फिर उनका छिड़काव करने में किसानों का परंपरा छूट जाता था, वहीं अब आधे लॉट की छोटी बोरोलें आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती हैं और पानी में घोलकर छिड़का खेतों में छिड़काव करने सहज सरल हो गया है। इसके अलावा वेनो तकनीक के कारण पौधों को पोषक तत्व सही और सटीक मात्रा में मिलते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में बेहतरीन सुधार आती है। शैलेन्द्र कुमार कन्नोजी की यह पहल आज पूरे जिले के किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की एक राह दिख रही है।

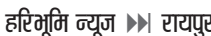


योजना में बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं को जिन राहत दी गई है। पहली राहत तो उबल उपभोक्ताओं का कनेक्शन 31 मार्च 2023 के पहले कट हो गया है उनको सरचाज में पूरी छूट के साथ ही मूल राशि में भी 75 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसी के साथ जिन भी बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं का कनेक्शन सक्रिय है, पर उन पर हजारों या फिर लाखों का बकाया है उनको भी इस योजना में राहत दी गई है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बकाया राशि पांच साल से ज्यादा समय से बाकी है, उसको मूल राशि में भी 75 फीसदी की छूट दी गई है। इसी के साथ जिन का बकाया एक से पांच साल के बीच है, उनको मूल राशि में 50 फीसदी छूट दी गई है।

इसलिए अब पंजीयन शुल्क को दस फीसदी से कम करके पांच फीसदी कर दिया गया है।
- भीम सिंह कंवर, एमडी, वितरण कंपनी

सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को बकाया पर मूल राशि में दस फीसदी की छूट उस स्थिति में मिलेगी जब वे सारा बकाया एक साथ जमा करेंगे। अगर तीन किस्तों में बकाया किया जाएगा तो पांच फीसदी की छूट मिलेगी। छह किस्तों में बकाया जमा करने की भी सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।

अब पांच फीसदी पंजीयन शुल्क में ही बिजली बिल बकाया का समाधान



साधारण योजना का लाभ उठाने में अडिकापुर पहले नंबर पर है। यहां के रोजन में 306171 उम्मेतोत का बकायेदार है। इसमें ने पीनो तीन लाख ने पंजीयन कराय है। इसमें पंजीयन के रूप में 21 करोड़ ने उगदा मिले है। इसके बाद विलासपुर का नंबर है। इस रोजन में 224635 उम्मेतोत का बकायेदार है। इसमें से करीब पीनो दो लाख ने पंजीयन कराय है। इनके रोजन 12 करोड़ मिले है। तीनो नंबर पर रायपुर है। यहां पर एक लाख 11 हजार बकायेदार है। इसमें से एक लाख ने पंजीयन करा लिया है। इसने 9 करोड़ मिले है। इसी तरह से अन्य रोजन में भी बकायेदारों ने पंजीयन कराय है। इसके लिए इनको के रूप में राशि का दस फीसदी पंजीयन शुल्क के बकाये में देना पड़ा है। लेकिन इसको पांच फीसदी कर दिया गया है।



